मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	विन्दु	विन्दुवार सूचना
1	आपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	पशुपालकों को दुग्ध अण्डा, मांस का उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पशुओं की चिकित्सा विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए हरा चारा उत्पादन कार्यक्रम तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम में अवर्णित एवं कम उत्पादन क्षमता वाले नर सांडों का बधिया करण तथा पशुओं में प्रजनन हेतु कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उच्च उत्पादन क्षमता वाले सांडो के अति हिमीकृत वीर्य द्वारा मादा पशुओं को गर्भित किया जाता है। अण्डा उत्पादन के लिऐ लेयर मुर्गीपालन कार्यक्रम एवं मांस उत्पादन के लिये बकरी, सूकर तथा ब्रायलर पालन हेतु योजनायें संचालित की जाती है पशु पालन से सम्बन्धित आंकड़ो को संकलित कर सूचनायें, मासिक , त्रैमासिक एवं वार्षिक उच्च अधिकायों को प्रेषित की जाती है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	अधिकारी एव कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रमशः निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधिक, पशुधन प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय विकास भवन बिजनौर में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण के अधीन समस्त अधिकारी कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	संस्था द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधिक, पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	इस संस्था का जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशन तथा जिला स्तरीय कमेटियां जिसमें जन प्रतिनिध भाग लेते है कार्यक्रम को अनुमोदित कराया जाता है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय/सुझाव लिये जाते है तदानुसार पशुपालन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक आंकड़े उपनिदेशक पशुपालन विभाग मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद एवं निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	इस संस्था को बजट जिला योजना, राज्य योजना एवं समाज कल्याण विभाग से निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसका समुचित उपयोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पनादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	आत्मा योजना के अन्तर्गत बजट उपकृषि निदेशक बिजनौर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसका नियमानुसार व्ययकर बिल समायोजन हेतु उपकृषि निदेशक भेजा जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासनादेश निर्देशानुसार पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पशुचिकित्सा, बांझपन पशुचिकित्सा शिविर पशुपालन गोष्ठियाँ एवं प्रदर्शन पशुपालकों के यहां कराये जाते है।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	सस्था द्वारा समस्त सूचनायें संकलित कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार कराया जाता है।

15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी डा0 इकबाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर एवं सहायक जन सूचना अधिकारी डा0 एन0एस0 पंवार पशु चिकित्सा अधिकारी सदर बिजनौर, सहायक जन सूचना अधिकारी डा0 भूदेव सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी, चांदपुर, सहायक जन सूचना अधिकारी डा0 राजेश सैनी, पशु चिकित्सा अधिकारी नजीबाबाद, सहायक जन सूचना अधिकारी डा0 अजय सिन्हा, पशु चिकित्सा अधिकारी, धामपुर, सहायक जनसूचना अधिकारी डा0 आर0सी0 सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी नगीना।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
बिजनौर।